



“राष्ट्रभाषा हिन्दी और उसका भविष्य”

डॉ० शशि बाला रावत / पंवार

हिन्दी विभाग रा० स्ना० महा० अगस्तमुनि

जिला—रुद्रप्रयाग—(उत्तराखण्ड)

निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल।

बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल।।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे परस्पर व्यवहार के लिये भाषाई माध्यम की आवश्यकता होती है किन्तु भाषा सिर्फ विचारों के संप्रेषण का माध्यम न होकर सामाजिक मनुष्य के संप्रेषण का ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से वह विशेष परिस्थिति में विशिष्ट प्रयोजन की सिद्धि हेतु उसका प्रयोग करता है। भाषा एक सामाजिक यथार्थ है जिसका विकास मानव के सामाजिक जीवन के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिये होता है। अब हिन्दी केवल साहित्यिक और बोल-चाल की भाषा न रहकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपादेयता के कारण विभिन्न प्रयोजनों की भाषा बन गई है। भारतीय संविधान के रचनाकारों ने संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी निर्धारित की है। सन् 1910 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। महामना पं० मदनमोहन मालवीय, पुरुषोत्तमदास टंडन प्रभृति ने हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास को दृष्टिगत रखते हुए इस संस्था की स्थापना की परन्तु सारे देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रभाषा की परिकल्पना करने वाले माननीय व्यक्तियों में आचार्य केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महात्मा गाँधी, सुभाषचन्द्र बोस, इत्यादि के नाम आदर के साथ स्मरण किये जा सकते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है किन्तु समस्त देश को एक सूत्र में बाँधने के लिये राष्ट्र के कर्णधारों ने जिस भाषा का चयन किया था वह हिन्दी थी। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे देश में कई भाषायें हिन्दी से अधिक प्राचीन और समृद्ध हों किन्तु वे एक सीमित क्षेत्र की भाषा होने के कारण पूरे देश की सम्पर्क भाषा के रूप में



काम नहीं कर सकती। महात्मा गाँधी ने राष्ट्रीय एकता के लिये राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की पहचान की, और उसे स्वतन्त्रता आन्दोलन का सशक्त माध्यम बनाया। भारत सरकार ने निसंदेह समय-समय पर वे सभी कदम उठाए जो हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में विकसित करने के लिये आवश्यक थे। तकनीकी और पारिभाषिक शब्दों के चयन और निर्माण के लिये वर्ष 1961 में तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। सन् 1918 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का आठवाँ अधिवेशन इंदौर में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन के सभापति महात्मा गांधी थे। उस अधिवेशन में महात्मा गाँधी जी ने राष्ट्रभाषा की स्पष्ट व्याख्या की और हिन्दीतर प्रदेशों में उसके प्रचार की आवश्यकता पर जोरदार शब्दों में समर्थन किया। उन्होंने कहा था “साहित्य का प्रदेश भाषा की भूमि जानने पर ही निश्चित हो सकता है। यदि हिन्दी भाषा की भूमि सिर्फ उत्तर प्रांत होगी तो साहित्य का प्रदेश संकुचित रहेगा। हिन्दी भाषा राष्ट्रीय भाषा होगी तो साहित्य का विस्तार भी राष्ट्रीय होगा। जैसे भाषक वैसी भाषा। भाषा सागर में स्नान करने के लिये पूर्व-पश्चिम, दक्षिण-उत्तर से पुनीत महात्मा आयेंगे तो सागर का महत्व स्नान करने वालों के अनुरूप होना चाहिये। इसलिये साहित्य की दृष्टि से भी हिन्दी का स्थान विचारणीय है।

गाँधी जी ने राष्ट्रभाषा और प्रान्तीय भाषाओं की चर्चा करते हुए अपना दृढ़ निश्चय प्रकट किया था कि मेरा दृढ़ अभिप्राय है कि जब तक हम भाषा को राष्ट्रीय और अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाओं को उनका योग्य स्थान नहीं देंगे-तब तक स्वराज्य की सब बातें निरर्थक है। हिन्दुस्तान को अगर सचमुख एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने राष्ट्रभाषा हिन्दी ही बन सकती है क्योंकि जो स्थान हिन्दी को प्राप्त है वह किसी दूसरी भाषा को कभी नहीं मिल सकता है। गाँधीजी ने न केवल हिन्दी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहा, बल्कि वे उसे व्यापार, वाणिज्य, न्याय तथा प्रशासन की भी भाषा बनाने के पक्षधर थे वह अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। गाँधीजी मातृभाषा के प्रबल समर्थक थे परन्तु साथ ही वे विश्व की अन्यान्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने पर भी जोर देते थे। उनका प्रबल विश्वास था कि मातृभाषा के माध्यम से अपने चिंतन का स्पष्ट अभिव्यक्तिकरण हो सकता है। भाषा के सम्बन्ध में गांधी जी ने



समय-समय पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। कि युवक और युवतियों को अंग्रेजी और दुनिया की दूसरी भाषाएं खूब पड़े। लेकिन उनसे मैं आशा करूंगा कि वे अपने ज्ञान का प्रसाद भारत को सारे संसार को उसी तरह प्रदान करेंगे जैसे बोस, राय, और स्वयं की व रवीन्द्रनाथ ने प्रदान किया था।

जब तक हिन्दी को रोजी रोटी के साथ नहीं जोड़ा जायेगा तक तक इसके सम्पूर्ण कार्यान्वयन की आशा करना व्यर्थ है। हिन्दी को अंग्रेजी के समान सभी क्षेत्रों में जब तक उसके विकास सपना देखना मृग-मरीचिका के समान होगा। हिन्दी में प्रशिक्षित स्नातकों को भी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तब तक अंग्रेजी में प्रशिक्षित स्नातकों को प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। समकक्ष सभी पदों पर नियुक्ति होनी चाहिये जब तक हिन्दी चाहिये जब तक हिन्दी की उपेक्षा शासन के स्तर पर होगी तब तक हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। हिन्दी राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की कड़ी है। इस कड़ी को हम जितना मतबूत बनाएंगे उतनी ही सक्षमता के साथ वह भारतवासियों के दिलों में अपना स्थान बना सकती है। राष्ट्रभाषा हिन्दी ही इस देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता व स्वाभिमान जाग्रत कर सकती है। बिना राष्ट्रभाषा के कोई भी राष्ट्र अपने को सम्पूर्ण रूप में अभिव्यक्ति नहीं दे सकता।

राष्ट्रभाषा की अवहेलना करना राष्ट्रध्वल, राष्ट्रगीत, संविधान की अवहेलना करने के समान है। इस देश के सम्मानित नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह संविधान सम्मत राष्ट्रभाषा का आदर करें और इसे अपना वास्तविक स्थान प्रदान करने में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। इस राष्ट्रीय यज्ञ में साथ देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वैश्वीकरण के संदर्भ में जहाँ तक हिन्दी भाषा का सम्बन्ध है। हिन्दी न सिर्फ भारत की राजभाषा एवं सम्पर्क भाषा है वरन् विश्व में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। आर्थिक उदारीकरण और मुक्त विश्व व्यापार प्रणाली के कारण उसका वैश्वीकरण हो रहा है। भाषा के सौन्दर्यमूलक आयाम में भाषा सर्जनात्मक होती है। जिसका विकास साहित्यिक भाषा के रूप में होता है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, समालोचना आदि साहित्यिक विधाओं में भाषा का यह रूप प्रकट होता है। भाषा के दूसरे



रूप का संबंध हमारी सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति से हैं। जो व्यक्तिपरक होकर भी समाज सापेक्ष होती हैं। इसमें भाषा किसी उद्देश्य विशेष या कार्याविशेष के लिए प्रयुक्त होती हैं। अतः हिन्दी भाषा किसी विशेष वर्ग, सम्प्रदाय या क्षेत्र की भाषा नहीं हैं। हिन्दी भाषा का उद्भव तो स्वतन्त्रता संग्राम आन्दोलन की अवधि के दौरान हुआ। देश के विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर विचार-विनिमय के लिये एक भाषा का विकास किया, जिसे हिन्दी के नाम नागरिकों के लिये भाषा का प्रश्न एक भावनात्मक मुद्दा है। भाषा में भी एकबद्ध करने की महान शक्ति है और यह राष्ट्रीय एकता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। लोकतंत्र में किसी भी भाषा को जनता की इच्छा के विरुद्ध नहीं थोपा जा सकता है, भाषा विचार और अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है। बल्कि उच्चतर स्तर पर न्यायाधीशों के लिए उनके निर्णय देने की प्रक्रिया का एक अभिन्न भाग है। हम सभी के मन में यह सवाल कचोटता है कि आखिर हमारी राष्ट्रभाषा के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है कि अमेरिका जैसे तमाम बड़े देश अपना व्यापार समूचे संसार में फैला देना चाहते हैं। हिन्दी के प्रति उदासीनता का एक कारण यह भ्रम भी है कि कम्प्यूटर आने से अब सारा कामकाज अंग्रेजी में ही होगा। जबकि कम्प्यूटर की कोई भाषा नहीं होती। उस पर किसी भी भाषा में काम किया जा सकता है। जब कम्प्यूटर का पदार्पण भारत में हो रहा था हमने तभी इसे अंग्रेजी और हिन्दी में साथ-साथ लाने का प्रयत्न नहीं किया। यदि केन्द्रीय सरकार इसके हिन्दी फांट भी साथ-साथ उपलब्ध करा देती। भले ही कुछ समय और लग जाता तो कम्प्यूटर पर केवल अंग्रेजी का ही वर्जस्व स्थापित न होता किन्तु अभी तो देर नहीं हुए हैं। कर्मचारियों को कम्प्यूटर पर हिन्दी में काम करने के लिये प्रेरित किया जाय और कोई भी कम्प्यूटर केवल अंग्रेजी के लिये न खरीदा जाए। हिन्दी आज विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। संसार में सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली सबसे बड़ी भाषाओं में हिन्दी का स्थान दूसरा है। हिन्दी के लिये यह गौरव की बात है कि मंगल पर भेजे गये अंतरिक यान पर 'भारत' शब्द देवनागरी में ही अंकित किया गया है। हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिये निश्चित कालावधि निर्धारित की जाए। और उसमें किसी भी प्रकार का संसोधन न किया जाय। हिन्दी में प्रशिक्षित स्नातकों



को केन्द्रीय शासन के समस्त मंत्रालय, विभागों में, निगमों, बैंको, उपक्रमों तथा कार्यालयों में परराष्ट्र मंत्रालयों के अतिरिक्त बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के नौकरियों दी जाय।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में हिन्दी को मान्यता दिलाई जाए। जब तक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को अगर मान्यता नहीं मिलेगी तब तक हिन्दी की उपेक्षा होती रहेगी। भारत के स्वतंत्र होने पर एक ब्रिटिश पत्रकार ने गाँधीजी से संदेश मांगा तब गांधी जी ने तुरन्त कह दिया था।

“दुनिया से कह दो कि महात्मा गांधी अंग्रेजी भूल गया है” (महात्मा गांधी के विचार)

गांधी जी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रबल पक्षधर थे। वे राष्ट्रभाषा को इतना महत्व देते थे कि किसी

वे राष्ट्रभाषा को इतना महत्व देते थे कि किसी भी मूल्य पर वे भाषा के स्तर पर समझौते के लिए तैयार न थे। गांधीजी सुनहरे भारत के भविष्यद्रष्टा थे वे ऐसे स्वप्नदर्शी थे कि भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में परिवर्तित हो। मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में गांधीजी का दृढ़ निश्चय उनकी वाणी में सर्वत्र मुखरित हुआ है। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण औजारों के रूप में कार्य करती हैं। जनता के सरकारी तंत्र के बीच बेहतर समझ और ताल-मेल का विकास जनता द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयुक्त भाषा के माध्यम से ही संभव होता है। जनता के बीच राजभाषा के प्रति जितनी जागरूकता पैदा होगी सरकारी-तंत्र भी उसके प्रति उतनी संवेदनशीलता बढ़ेगी। इसलिये देश और समाज के व्यापकहित में राजभाषा हिन्दी के प्रति जनता और सरकारी-तंत्र दोनों को अधिक से अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रन्थ:-

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी-विनोद गोदरे-पृष्ठ सं0 14
2. हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास- उदरनारायण तिवारी-पृष्ठ सं0-32
3. हिन्दी भाषा की संरचना-डॉ० भोलानाथ तिवारी-पृष्ठ सं0-55
4. भाषा विज्ञान-रामदेव त्रिपाठी-पृष्ठ सं0-62
5. हिन्दी का अस्मिता की राजभाषा नीति-रामवीर सिंह-पृष्ठ सं0-60